राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय,राज0जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/204 दिनांकः 26.12.17

आयुक्त,
नगर परिषद,
अजमेर।

विषयः— पाल बिछला नो कन्सट्रक्शन जोन के संबंध में ।

संदर्भः— नगर निगम अजमेर का पत्र क्रमांक पी.ए./आयुक्त/77 दिनांक 12.12.17

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक पी.ए./आयुक्त/77 दिनांक 12.12.17 के प्रतिउत्तर में निवेदन है कि प्रकरण में महाधिवक्ता महोदय से राय प्राप्त की गई। महाधिवक्ता महोदय ने अपनी राय में निम्न निर्देश प्रदान किये हैः—

"So far as giving permission for electricity and water connections to the persons who are living in the area even prior to issuance of notification relating to no construction zone is concerned, it has come on record that certain persons have already having such facilities. In such circumstances, looking to the basic amentities like electricity and water connections required for the life of person, the same can be allowed subject to decision of the court. So far as demolition of the constructions which have been raised after declaration of notification for no construction zone is concerned, action can be taken by the Municipal Corporation as per law."

अतः महाधिवक्ता महोदय द्वारा प्रदत्त राय के अनुरूप ऐसे निवासी जो कि नो—कन्स्ट्रक्शन जोन घोषित किये जाने से पूर्व से इस क्षेत्र में निवास कर रहे है उनमे से कुछ निवासियो को बिजली, पानी कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाए जो कि जीवन—यापन के लिए वांछनीय है, पहले से ही प्राप्त है। तदनुरूप अन्य निवासी जिनको यह सुविधा प्राप्त नहीं है उन्हे भी अन्य निवासियो की भांति यह सुविधाऐ माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन उपलब्ध कराई जाने हेतु अनापत्ति दी जा सकती है तथा उक्त क्षेत्र को नो—कन्स्ट्रक्शन जोन घोषित किये जाने के उपरान्त जो निर्माण किये गये है उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(मुकेश कुमार मीणा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव